

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 215]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 मई 2016—वैशाख 30, शक 1938

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 मई 2016

क्र. एफ बी-4-5-2016-2-पांच(14).—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ बी-7(बी)-13-2014-2-पांच(27) दिनांक 8 अगस्त 2014 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में—

1. अनुच्छेद-चार, 'अन्य फीस' में,—

(एक) अनुक्रमांक 3 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

“3 नक्शे की प्रमाणित प्रति देने के लिए— 200 रुपए

टीप .—उन शासकीय सेवकों को, जिन्हें सद्भावपूर्ण लोक प्रयोजन हेतु नक्शों की प्रतियां आवश्यक हों, फीस के भुगतान से छूट प्रदान की जाएगी.”;

(दो) अनुक्रमांक 6 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए.

2. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 20 मई 2016

क्र. एफ बी-4-5-2016-2-पांच(14).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ बी-4-5-2016-2-पांच(14), दिनांक 20 मई 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 20th May 2016

No. F. B-4-5-2016-2-V(14).—In exercise of the powers conferred by Section 78 of the Registration Act, 1908 (No. XVI of 1908), the State Government, hereby, makes the following amendments in this department's Notification No.F.B.-7(B)-13-2014-2-V(27), dated 8th August 2014 namely :—

AMENDMENTS

In the said notification,—

1. In Article-IV 'Other Fees',—

(i) for serial number 3 and entries relating thereto, the following serial number shall be substituted, namely :—

"3. For granting certified copy of a map— 200 rupees.

Note —Government servants requiring copies of maps for bonafide public purpose shall be exempted from the payment of fees.";

(ii) serial number 6 and entries relating thereto, shall be omitted.

2. This amendment shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.